

प्रेषण

डी० वी० ओझा,
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा को-व्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय

डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, मधेपुर, मधुबनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

गदाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, मधेपुर, मधुबनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन के साथ संलग्न उक्त विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी एवं विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय दयानंद एंग्लोवैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसायटी, नई दिल्ली के अधीन संभालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।


3. विद्यालय को 230 एकड़ भूखण्ड उपलब्ध है। विद्यालय में पशुपति स्मारक परिसर का प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।


4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समारंभ पत्रों में विज्ञापन निमजलकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 17 शिक्षक हैं। सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।


5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन पत्रों का सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इस सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय को द्वारा लिखित रूप से सन्तुष्टि दी गयी है कि उसे विद्यालय अधिसूचना संख्या 2006, दिनांक 04.04.2006 में उल्लिखित आदेशों का पालन है।


Headmaster
DAV Public
Madhepur, Madhubani



Principal
D.A.V. Public School
Madhepur (Madhubani)
C.B.S.E. Aff. NO-330439
School NO-65481



Manager
D.A.V. Public School
Madhepur (Madhubani)
C.B.S.E. Aff. NO-330439
School NO-65481

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे दूरस्थान शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगी, को रखा गया है।
 - (ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हों तो शूले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
 - (iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से जावरा की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
 - (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।
8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, पर भी सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत पर संचालित है।
9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सततमति के अनुसार जांचाये एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सतत जांच करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्ध न रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।
10. विभागिय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।
11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।
- उपरोक्त तथ्यों/वर्णित शर्तों के आलोक में सक्षम समिति के निर्णयानुसार डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, मधेपुर, मधुबनी को सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।


Principal
D.A.V. Public School
Madhepur (Madhubani)
C.B.S.E. Aff. NO-33/1999
School NO-195481


Manager
D.A.V. Public School
Madhepur (Madhubani)

विश्वारामाजन
ह०/-
(सी० के० ओझा)
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापांक 623 दिनांक 24/5/12
प्रतिलिपि : प्राचार्य, डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, मधेपुर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधी प्रेषित।
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।